हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना- बहादुरगढ़ दिनांकः- 17-12-2024

"~ संगठित गैंगस्टर अपराध के विरुद्ध हापुड़ पुलिस की कार्यवाही ~"

- **थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक शातिर अपराधी द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति 93.65 वर्ग मीटर जमीन पर बने (दो मंजिला मकान वर्तमान कीमत करीब 38,21,818/- रुपये) को कुर्क किया गया।**
- **अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ आरिफ शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अवैध संसाधनों से धन अर्जित कर जनपद मेरठ के थाना लिसाडी गेट क्षेत्रांर्तगत समर गार्डन कालोनी में बने हुए मकान, जिसके जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।**

कार्यवाहीः-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बहादुगढ़ पुलिस द्वारा थाना सिम्भावली के मु0अ0सं0 022/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से सम्पत्ति अर्जित कर जनपद मेरठ के थाना लिसाडी गेट क्षेत्रांर्तगत समर गार्डन कालोनी में बने हुए मकान जमीन 93.65 वर्ग मीटर (वर्तमान बाजार कीमत करीब **38,21,818/-** रुपये) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हापुड के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।

अभियुक्त का नाम व पताः-

मुस्तकीम उर्फ आरिफ पुत्र कलुआ उर्फ शौकीन निवासी ग्राम घुंघराला थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़, हाल पता 60 फुटा रोड समर गार्डन कालोनी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।